

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक- 4.10. 2015

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 79,38,000/- (उन्चासी लाख अड़तीस हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 79,38,000/- (उन्चासी लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र) की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
11. इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2053000930001 है।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।